राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4129/2022

कृष्ण कुमारी शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलाई, बामनवास, सवाईमाधोपुर।
4. मनीषा मीणा व्याख्याता हिन्दी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 17.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता हिन्दी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलाई, बामनवास, सवाईमाधोपुर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोलेडा, सवाईमाधोपुर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी की जन्म तिथि 16.06.19664 है तथा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2024 को है। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 21 माह की अवधि ही शेष है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अपीलार्थी के पति स्लिप डिस्क की बीमारी से पीड़ित है तथा बिना सहारे के कोई काम नहीं कर सकते, जिनका इलाज सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में चल

रहा है। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी स्वयं भी सरवाइकल की समस्या से पीड़ित है (अनुलग्नक–4)।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर व्याख्याता हिन्दी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलाई, बामनवास, सवाईमाधोपुर में कार्य करने दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पति स्लिप डिस्क की बीमारी से पीड़ित है तथा बिना सहारे के कोई काम नहीं कर सकते, जिनका इलाज सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में चल रहा है तथा उनकी देखभाल करने हेतु अपीलार्थी के अलावा कोई नहीं है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य